न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 06/2017

अनवान :—

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

1. श्री संजय चौमल पुत्र गंगाधर चौमल मैसर्स सत्यम डिपार्टमेंटल स्टोर ए—45 खतुरिया कॉलोनी जेएनवी पुलिस थाना के पास, बीकानेर
2. श्री वेद प्रकाश पुत्र हरीकिशन मैसर्स गौतम एजेन्सी गजनेर रोड़, बीकानेर
3. मैसर्स साबू सोडियम क्लो. लिमिटेड। एलएसबी— II कृष्णा मार्ग सी—स्कीम जयपुर(राज.) (श्री घनश्याम सिंह शेखावत—नोमिनी)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से — श्री महमूद अली खा.सु.अ.
2. अप्रार्थी 1 की ओर से — श्री मनोज सुरोलिया अधिवक्ता
3. अप्रार्थी संख्या 2 — अनुपस्थित
4. अप्रार्थी संख्या 3 — श्री विजय कुमार पारीक अधिवक्ता

—: निर्णय :— दिनांक 24.06.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 27.04.2016 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स सत्यम डिपार्टमेंटल खतुरिया कॉलोनी बीकानेर पर आम जन बिक्री हेतु पोली पैक एक किग्रा के करीब 15 नग आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) रखा था। जिसका बैच संख्या 55/2001 पैंकिंग दिनांक 01/2015 तथा उत्पादन स्थल साबु सोडियम क्लो. लिमि. नाथ सिटी, बीकानेर अंकित था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक्ड आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) में से प्रत्येक एक किग्रा के 4 पैकेट जिसकी कुल कीमत 60/— रूपये में नगद खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। तदन्तर प्राप्त नमूना आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) पर लैबल तैयार कर उस पर विक्रेता,गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये तथा चारों पर एक—एक लेबल फार्म गोंद से चिपकाया व प्रत्येक शीशी पर मोटा मजबूत खाकी कॉगज लपैट कर गोंद चिपका कर प्रत्येक शीशी नमूना पर डीओ/सीएमएचओ द्वारा जारी पेपर स्लिप जे— 1129 हस्ताक्षरित थी को बोटम टू टोप प्रक्रिया द्वारा गोंद से चिपकाया तथा नियमानुसार प्रत्येक शीशी को सील चपड़ी कर प्रत्येक को पेपर स्लिप को गोंद से चिपकाया जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने किये। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे पढ़कर, पढ़ाकर समझा कर विक्रेता,गवाह एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त सील्ड नमूना भाग में से एक सीलबन्द नमूना भाग मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 16.05.2016 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) का विक्रय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खादय पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया। तथा अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से श्री विजय पारीक एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब है कि उक्त खाद्य पदार्थ का मुख्य निर्माता श्री साबू सोडियम क्लो. लि. जयपुर है। अप्राथी संख्या 1 ने उक्त माल अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा गौतम एजेन्सीज से जरिये बिल नं. 796 दिनांक 2.10.15 को खरीद किया है। अगर उक्त माल में मिलावट पाई जाती है तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जिम्मेदार है। उक्त माल जब गलत होने का ज्ञात हुआ तो अप्रार्थी ने दिनांक 31.3.2016 को पुनः जमा करवा दिया था। अतः अगर माल में मिलावट पाई जाती है तो निर्माता कम्पनी की तमाम जिम्मेदारी है और रहेगी। अप्रार्थी सं. 3 के जवाब में स्वयं तमाम जुर्माना अधिरोपित कर मामले का निस्तारण किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब है कि सूर्या नमक 1 किलो प्रोली पैक का नमूने जांच हेतु लिये गये है, का निर्माता प्रो. गौतम एजेन्सीज नहीं है। उक्त पोली पैक सूर्या नमक साबू सोडियम क्लोरों लि. से प्राप्त किया था जिसको बिल संख्या 196/02.10.2016 से मैसर्स सत्यम डिपार्टमेंटल स्टोर खतुरिया कॉलोनी को विक्रय किया था। अप्रार्थी फर्म एक रजिस्टर्ड फर्म है जिसका फूड लाईसेंस पंजीकरण संख्या 22217025000001 है। अप्रार्थी को साबू सोडियम क्लोरों लि. जयपुर ने सूर्या नमक सप्लाई किया था, जो अमानक स्तर की जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी में होता तो उक्त सूर्या नमक पोली पैक क्रय नहीं करता ।

5. अप्रार्थी संख्या 3 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को प्रकरण में शामिल किए गए है। उक्त प्रकरण की विषय वस्तु का मुख्य निर्माता अप्रार्थी संख्या 3 साबू सोडियम क्लो. लि. है। अतः प्रकरण में पृथक–पृथक जुर्माना ना करके एकत्रित जुर्माना अप्रार्थी संख्या 3 पर अधिरोपित कर प्रकरण का निस्तारण किए जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

7. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक LS.1157/ACT/2016/1859 Date 16-05-2016 के अनुसार Iodine content on dry weight basis- Iodine content-1 Not less than 30 ppm. at manufacture level, 2- Not less than 15 ppm at distribution channel including retail level. होनी चाहिए, की तुलना में Absent पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

8. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त माल अप्रार्थी संख्या 2 गौतम एजेन्सीज से जरिये बिल खरीदा है। उक्त निर्माता नहीं है। अगर उक्त में मिलावट पाई जाती तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जिम्मेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त माल के गलत होने पर पुनः जमा करवा दिया । अप्रार्थी संख्या 3 निर्माता ने स्वयं अपने जवाब में जुर्माना अधिरोपित कर मामले का निस्तारण करने का निवेदन किया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को दोषमुक्त करने का आदेश फरमावें।

9. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी फूड इन्सपैक्टर ने उक्त प्रकरण में एफएसएस एक्ट के 2006 नियम 11 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना बिना किये ही न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर दिया है। नमूने की पुनः जांच का अधिकार के बाबत अप्रार्थी को प्रार्थी ने कभी कोई सूचना नहीं दी इससे अप्रार्थी के पुनः जांच का अधिकार खत्म हो गया। पदार्थ की नमूना रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि उक्त नमूने का खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है, नमक जैसे पदार्थ का एक स्थान से व एक जलवायु, वातावरण से अन्य स्थान व अन्य जलवायु में स्थानान्तरित हो जाने पर मामूली अन्तर आना स्वमाविक है। अतः अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये पत्रावली फैसल शुमार के आदेश प्रदान फरमावें।

10. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 27.04.2016 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी पक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण एक किग्रा आयोडाइज्ड नमक(सूर्या) के करीब 15 पैकेट मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। जहां तक अप्रार्थी पक्ष का यह कथन की निरीक्षण के द्वारा नमूने लिये जाने के समय प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की एवं एफएसएस एक्ट पूर्ण पालना नहीं की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है। वरवक्त निरीक्षण नमूनें लिये जाते समय एफएसएस एक्ट एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना निरीक्षण प्रार्थी द्वारा की गई है। नमूनें अप्रार्थी एवं गवाह की उपस्थिति में लिये गये है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक LS.1157/ACT/2016/1859 Date 16-05-2016 के अनुसार Iodine content on dry weight basis- Iodine content-1 Not less than 30 ppm. at manufacture level, 2- Not less than 15 ppm at distribution channel including retail level. होनी चाहिए, की तुलना में Absent पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । वरवक्त निरीक्षण मिला आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) मानव उपयोग के लिये हानिकारक है, जो की एफएसएस की धारा 26(2)ii के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

11. लिहाजा अप्रार्थी द्वारा आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) सबस्टेण्डर्ड विकय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये **20,000/– अखरे बीस हजार** रूपये की शास्ति आरोपित करते है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

12. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

13. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 3 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से रूपये 10,000/– अखरे दस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 3 को दायी घोषित किया जाता है।

14. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरक एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री आयोडाइज्ड नमक (सूर्या) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (II) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 3 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 10,000/– रूपये (अखरे रूपये दस हजार मात्र) अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विक्रेता/वितरक समान रूप से शास्ति राशि भरने हेतु दायी होगा।

15. इस प्रकार कुल आरोपित 20,000/– रूपये की शास्ति में से 10,000/– रूपये अप्रार्थी संख्या 3 (विनिर्माता)एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विक्रेता/वितरण प्रत्येक 5–5 हजार रूपये की शास्ति राशि अदा करेगें।

16. इसके साथ–साथ अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं अप्रार्थी सं. 1 व 3 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(एम.एल.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा) बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner